

प्ररूप 46 क

[नियम 21 (3) और नियम 21 (15)]

बाल देखभाल संस्थान के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए निरीक्षण प्ररूप

राज्य:

जिला :

संस्थान का नाम:

शैक्षणिक सुविधाएं:

सुविधा का प्रकार : (बाल गृह / प्रेक्षण गृह / विशेष गृह/सुरक्षा स्थल/खुला आश्रय /

विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी / उपयुक्त प्रसुविधा)

संस्थान का नाम और पता :

अधिनियम / नियम	सूचकांक	स्थिति (हां या नहीं)	टिपपणियां (अनुपालन न होने या आंशिक रूप से अनुपालन के मामले में)
I. विधिक स्थिति			
बाल देखरेख संस्थान का पंजीकरण	सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 / भारतीय न्यास अधिनियम 1882 / कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन मूल संगठन का पंजीकरण		
	सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 / भारतीय न्यास अधिनियम 1882 / कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन मूल संगठन की पंजीकरण संख्या		
	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010, पंजीकरण (यदि कोई हो)		
II. भौतिक अवसंरचना			
नियम 29 भौतिक अवसंरचना	नाम, सीसीआई का प्रकार, संपर्क विवरण दर्शाते हुए प्रदर्शित साइनबोर्ड		
	चहारदीवारी/बाड़ लगाना		
	कक्षा		
	शयनशाला		
	रसोईघर		
	परामर्श		
	मनोरंजन		
	रोगी कक्ष		
	पुस्तकालय		
आगंतुकों का कमरा			

	व्यावसायिक प्रशिक्षण		
	भोजन कक्ष		
	भंडार		
	रिकॉर्ड रूम		
	कार्यालय कक्ष		
	कर्मचारियों के लिए निवास		
	स्नानघर		
	शौचालय		
नियम 31: स्वच्छता और साफ-सफाई	छत की दीवारों, फर्श की बिछायतें, वस्त्र विन्यास, पर्दे (खिड़की के), फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण की अच्छी स्थिति		
	विशेष रूप से बालकों के लिए उपलब्ध बालकों के अनुकूल स्नानघर / स्नान क्षेत्र (1:10)		
	विशेष रूप से बालकों के लिए उपलब्ध बालकों के अनुकूल शौचालय (1:7)		
	सुरक्षित और शुद्ध पेयजल का भंडारण उपलब्ध है		
	सभी बालकों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है		
	उचित जल निकासी और कचरा निपटान की सुविधा उपलब्ध है		
	विशेष रूप से बालकों के शयनशाला / शौचालय में कर्मचारियों / आगंतुकों की पहुंच के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत		
III. प्रबंधन / कर्मचारियों की तैनाती का तरीका			
नियम 26: बाल देखरेख संस्था का प्रबंधन और मानीटरी	1 प्रभारी व्यक्ति		
	2 परामर्शदाता		
	3 बाल कल्याण अधिकारी / परिवीक्षा अधिकारी/मामला कार्यकर्ता		
	4 गृह माता / गृह पिता		
	1 चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक)		
	1 अर्द्ध-चिकित्सीय कर्मचारी		
	1 स्टोर कीपर सह लेखाकार		
	1 कला और शिल्प सह संगीत शिक्षक (अंशकालिक)		
	1 (पीटी) अनुशिक्षक सह योग प्रशिक्षक (अंशकालिक)		

	1 चालक		
	2 रसोइया		
	2 सहायक		
	2 हाउस कीपिंग		
	सुरक्षा गारद		
	अन्य कोई		
	बालिका इकाई हेतु महिला अधीक्षक/ प्रबंधक / प्रभारी उपलब्ध		
नियम 89: बालकों से व्यवहार कर रहे कर्मियों का प्रशिक्षण	कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण -		
	बाल अधिकार संरक्षण देखभाल करने वाला		
	पुनर्वास		
	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015		
	मिशन वात्सल्य		
नियम 76: बालकों का दुरुपयोग एवं शोषण	देखरेख करने वालों का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण		
	बालकों का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण		
नियम 65: पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी	पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी		
नियम 61: किसी बाल देखरेख संस्था के भारसाधक व्यक्ति के कर्तव्य	अधीक्षक / प्रबंधक / प्रभारी परिसर में रहें		
IV. कार्यक्षमता			
नियम 29: अवसंरचना भौतिक	इंटरनेट सुलभ कंप्यूटर		
	सुरक्षित रूप से संग्रहीत रिकॉर्ड		
	आवश्यक विवरण सहित-		
	आपातकालीन नंबर		
	ड्यूटी चार्ट		
	मेनू चार्ट		
	उपस्थिति स्थिति		
	साप्ताहिक कार्यक्रम अनुसूची		
परिसर के बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा			

	कर्मचारियों और प्रबंधन से बालकों के लिए अलग सुविधाएं		
	विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सुविधाएं और सहायता (उपकरण, कर्मचारी, शिक्षण और शिक्षण सामग्री / सहायक सामग्री)		
	दृश्य आवश्यकताएं		
	बौद्धिक आवश्यकताएं		
	श्रवण आवश्यकताएं		
	अन्य		
	कमरे और शयनशाला में अस्थिर भारी उपकरण, फर्नीचर, या अन्य वस्तु नहीं हैं जिन्हें बालक अपने ऊपर खींच सकते हैं।		
नियम 67: सुरक्षा उपाय	शौचालय और स्नान गृह क्षेत्रों में गोपनीयता बनाए रखी जाती है		
	आधारभूत आपातकालीन चिकित्सा देखरेख के उपकरण उपलब्ध		
	विशेष आपातकालीन चिकित्सा देखरेख उपकरण उपलब्ध		
V. दुर्व्यवहार से निवारण और संरक्षण			
नियम 76: बालक से दुर्व्यवहार और उसका शोषण	बाल संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया		
	दुर्व्यवहार का निवारण सहित कार्यशील और सुलभ शिकायत और शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान हैं, जैसे-		
	सुझाव पेटिका		
	चाइल्ड हेल्पलाइन		
	सीसीटीवी कैमरे		
	बाल समितियां		
	नियमित स्टाफ चिल्ड्रन इंटरफेस		
VI. दैनिक दिनचर्या और सुविधाएं			
नियम 32: दिनचर्या	बाल समिति के परामर्श से और / या बालकों की सहभागिता या आवश्यकता के अनुसार दिनचर्या तैयार की जाती है		
	संस्था में प्रमुख स्थानों पर दिनचर्या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है		
नियम 38 मनोरंजन सुविधाएं	पर्याप्त / सुरक्षित खिलौने उपलब्ध हैं और बालकों के लिए सुलभ हैं।		
	खेलने के लिए पर्याप्त उपयुक्त रूप से सुसज्जित खुला स्थान उपलब्ध है और बालकों के लिए सुलभ है		

VII. पोषण और मनोरंजन			
नियम 33: पोषण और आहार मानक	कर्मचारी विकास के विभिन्न चरणों में बालकों की पोषण संबंधी आवश्यकता से अवगत है		
नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं	बालकों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं		
	बालकों के लिए आउटडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं।		
	सहयोग / भागीदारी, लचीलापन, आदि विकसित करने के लिए किसी भी नवाचार कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है		
VIII. कपड़े, बिस्तर की स्वच्छता			
नियम 30 : कपड़े, बिस्तर, प्रसाधन और अन्य सामग्री	मानकों के अनुसार स्वच्छ, मौसमी और आयु के अनुकूल कपड़े, वस्तुएं और प्रसाधन उपलब्ध हैं		
	मानकों के अनुसार स्वच्छ, मौसमी उपयुक्त चटाई और सोने की सामग्री उपलब्ध है		
नियम 31: स्वच्छता और साफ-सफाई	सोने की सामग्री को नियमित रूप से या आवश्यकतानुसार पुनः उपयोग करने से पहले साफ / क्रीमी रहित किया जाता है।		
	संक्रमण और रोग के निवारण के लिए प्रत्येक बालक को नियमित रूप से धूम्रिकरण (धूप में रखी गई सोने आदि की सामग्री), कीटाणुरहित और सामग्री प्रदान की जाती है		
	प्रत्येक बालक के लिए व्यक्तिगत सामान रखने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध है		
	क्या बालकों के लिए गृह में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:		
		पंखे	
		कूलर	
		एयर कंडीशनर	
		सर्दियों के लिए हीटर	
IX. स्वास्थ्य देखरेख			
नियम 34 / 35: चिकित्सा देखरेख / मानसिक स्वास्थ्य	रात में गृह में नर्स/अर्द्ध-चिकित्सीय स्टाफ उपलब्ध है		
	प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए कर्मचारी प्रशिक्षित है		
X. शिक्षा			
नियम 36 / 69: शिक्षा	आयु अनुकूल शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त शिक्षा विकल्प उपलब्ध है.		
नियम 37 व्यासायिक	आयु उपयुक्त, साध्य और बाजारोन्मुखी का विकल्प		

प्रशिक्षण	उपलब्ध है.		
XI रिकार्डों का रखरखाव			
नियम 77: रजिस्ट्रों का रखरखाव	मास्टर प्रवेश और निर्वहन रजिस्टर		
	पर्यवेक्षण रजिस्टर		
	चिकित्सा फाइल और चिकित्सा रिपोर्ट		
	बालकों और कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर		
	आदेश पुस्तिका		
	जांच रिपोर्ट फ़ाइल		
	बालकों की सुझाव पुस्तिका/फाइल		
	वाउचर, रोकड़ पुस्तिका, बहि, रोजनामचा और वार्षिक लेखा		
	अनुदान उपयोग रजिस्टर		
	स्टॉक रजिस्टर		
	पोषण/आहार रजिस्टर		
	बजट विवरण रजिस्टर		
	आगतुक पुस्तिका		
	कर्मचारी संचालन रजिस्टर		
व्यक्तिगत सामानों से संबंधित रजिस्टर			
बाल संचालन रजिस्टर			
XII. वित्तीय पारदर्शिता			
	वित्तपोषण के स्रोतों और संगठन की संपूर्ण /अलग से उपलब्ध सूचना के बारे में सूचना का विवरण		
	वित्तपोषण के स्रोत -		
	सरकारी सहायता/अनुदान		
	राष्ट्रीय दाता		
	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय दाता		
	कॉर्पोरेट दाता		
	स्वयं के स्रोत		
अन्य			
नियम 53: अधिकरण का लेखा-जोखा और लेखा परीक्षा	इसके द्वारा अनुरक्षित परियोजना वार बैंक लेखा (लेखाओं) की संख्या, उद्देश्य प्राप्त रकम सहित उपलब्ध एफसीआरए लेखा का विवरण		

झ. पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिफारिश-

1. उल्लंघन या विसंगतियां या मानकों के अनुसार नहीं, का विवरण-

2. जिले में पहले से ही बाल देखभाल संस्थानों की..... संख्या है (.....बाल गृह की, संप्रेक्षण गृह की, आश्रय गृह की.....विशेष गृह की,..... विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण की) और किशोर न्याय बोर्डों की, बाल कल्याण समितियों की, जिला निरीक्षण समितियों की संख्या है और वर्तमान में अतिरिक्त बाल देखरेख संस्था की आवश्यकता / आवश्यकता नहीं है (जो लागू हो चिन्ह लगाएं)।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त बाल देखरेख संस्था का पंजीकरण / पंजीकरण का नवीनीकरण विचार करने की सिफारिश की जाती है।

या

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण / पंजीकरण का नवीनीकरण पर विचार करने की सिफारिश नहीं की जाती। (जो भी लागू हो)

हस्ताक्षर और मुहर

(नाम)

जिला मजिस्ट्रेट

जिला.....

राज्य.....

दिनांक.....